# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

**(पीठासीन अधिकारी रतन कुमार आर0ए0एस0)**

**प्रकरण संख्या – 236/2020 – निगरानी**

| | | |
|---|---|---|
| ग्राम पंचायत परासौली जरिए ग्राम विकास अधिकारी रमेश कुमार (सचिव) ग्राम पंचायत परासौली पंचायत समिति आसीन्द जिला भीलवाडा<br><br>–निगराकार | बनाम | 1. रिद्धी सिद्धी ग्राम संगठन नई परासौली तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा<br>2. किशन नायक पिता रतन लाल नायक निवासी कंवलियास पूर्व सचिव ग्राम पंचायत परासौली हाल ग्राम विकास अधिकारी जगपुरा ग्राम पंचायत जगपुरा पंचायत समिति आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा<br><br>– गैर निगराकार |

**निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज संशोधित अधिनियम 1994 बाबत् पटटा निरस्त कराये जाने बाबत्**

उपस्थित –

1. श्री मांगीलाल सेन अधिवक्ता – निगराकार की ओर से

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

## निर्णय

दिनांक 01.08.2024

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत परासौली के अन्दर हल्का आबादी क्षेत्र मे स्थित भूखण्ड का आवासीय पटटा पैतृक भूमि मानते हुऐ जारी किया गया है, जो कि अवैध होकर शून्य प्रभावी है। तथाकथित भूमि का पटटा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच गोपाल मारू द्वारा ग्राम पंचायत परासौली की कौरम आयोजित नहीं की व प्रस्ताव लिये बिना ही पैतृक भूमि बताकर ग्राम पंचायत में 200/–रूपये जमाकर ग्राम पंचायत परासौली के नाम से पटटा ज़ारी कर दिया, जिस पर ग्राम पंचायत के तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी किशन नायक के पटटों पर कोई हस्ताक्षर नही हैं, हस्ताक्षर किशन नायक के फर्जी किये गये हैं। इस बाबत पूर्व तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी किशन नायक द्वारा एक आम सूचना राजस्थान पत्रिका में दिनांक 22/11/2020 को प्रकाशन कराई जिसमे सर्वसाधारण को सूचित करते हुए यह अंकन

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

किया कि ग्राम पंचायत के डुब क्षेत्र व अन्य आबादी भूमि के खसरा नम्बर/ आराजी नम्बर 13 तैरह, 8 आठ, 1502 पन्द्रह सो दो, 1503 पन्द्रह सो तीन की भूमि में पटटे ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं किये गये ग्राम पंचायत के स्वामित्व मे खाली भूखण्ड है यदि कोई व्यक्ति पुरानी तारीख के फर्जी पटटे प्राप्त करता है तो उसकी स्वयं की जिम्मेदारी है यह पट्टे खारीज योग्य होकर उक्त भूमि के पटटे प्रक्रियात्मक नही है। पंचायत समिति मे जमा रिकॉर्ड अनुसार गायब पटटों की प्रतियां पर प्राप्तकर्ता व सचिव के हस्ताक्षर नही है। जिनकी निगरानिया दर्ज है। तथाकथित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होकर 100 सो फीट रोड़ पर है जो ब्यावर अजमेर मुख्य मार्ग पर स्थित है जो कि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि होकर आवासीय व वाणिज्यिक भूमि है जो निलामी के जरिए ही ग्राम पंचायत उक्त भूमि को विक्रय कर सकती है जिससे कि ग्राम पंचायत परासौली को अधिकतम आय प्राप्त हो सके किन्तु ग्राम पंचायत परासोली के पूर्व सरपंच द्वारा पटटा बहियों को पंचायत व पंचायत समिति से गायब कर पटटे देकर लोगों से रूपये ऐंठ लिए, अनपढ ग्रामीण परिवेश के लोगों को फर्जी पटटे देकर लाखों रूपये हड़प लिऐ' जिसके लिए सरपंच के विरुद्ध विभागीय एंव अनुशाषात्मक एवं फौजदारी कार्यवाही अलग से अमल में लाई जा रही है अतः तथाकथित पटटा विपक्षी संख्या 01 एक के नाम पर जारी जो अपास्त होने लायक हैं। निवेदन हैं कि प्रार्थी/निगराकार का निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज संशोधित अधिनियम 1994 का स्वीकार फरमाया जाकर तथाकथित पटटा दिनांक 05/09/2019 को विपक्षी संख्या 01 एक के नाम पर जारी किया जिसे निरस्त फरमाया जावें ।

प्रस्तुत निगरानी न्यायालय में दायर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 बावजूद सूचना के अनुपस्थित हैं। विपक्षी संख्या 01 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की जाती हैं। प्रकरण में निगराकार अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि तथाकथित भूमि का पटटा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच गोपाल मारू द्वारा ग्राम पंचायत परासौली की कौरम आयोजित नहीं की व प्रस्ताव लिये बिना ही पैतृक भूमि बताकर ग्राम पंचायत में 200/—रूपये जमाकर ग्राम पंचायत परासौली के नाम से पटटा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

जारी कर दिया, जिस पर ग्राम पंचायत के तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी किशन नायक के पटटों पर कोई हस्ताक्षर नही हैं। इस बाबत पूर्व तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी किशन नायक द्वारा एक आम सूचना राजस्थान पत्रिका में दिनांक 22/11/2020 को प्रकाशन कराई जिसमे सर्वसाधारण को सूचित करते हुए यह अंकन किया कि ग्राम पंचायत के डुब क्षेत्र व अन्य आबादी भूमि के खसरा नम्बर/ आराजी नम्बर 13 तैरह, 8 आठ, 1502 पन्द्रह सो दो, 1503 पन्द्रह सो तीन की भूमि में पटटे् ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं किये गये ग्राम पंचायत के स्वामित्व मे खाली भूखण्ड है यदि कोई व्यक्ति पुरानी तारीख के फर्जी पटटे प्राप्त करता है तो उसकी स्वयं की जिम्मेदारी है यह पट्टे खारीज योग्य होकर उक्त भूमि के पटटे प्रक्रियात्मक नही है। पंचायत समिति मे जमा रिकॉर्ड अनुसार गायब पटटों की प्रतियां पर प्राप्तकर्ता व सचिव के हस्ताक्षर नही है। निवेदन हैं कि प्रार्थी/निगराकार का निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज संशोधित अधिनियम 1994 का स्वीकार फरमाया जाकर तथाकथित पटटा दिनांक 05/09/2019 को विपक्षी संख्या 01 एक के नाम पर जारी किया जिसे निरस्त फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि पत्रावली पर उपलब्ध पटटा दिनांक 05.09.2019 की सत्यापित का परीक्षण करने पर जाहिर होता हैं कि पटटे पर सचिव के हस्ताक्षर नहीं हैं। पटटा 10,000 वर्गफीट क्षैत्रफल का जारी किया गया हैं, जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियमों की स्पष्ट उल्लघंना हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रश्नगत पटटा विधिक रूप से पूर्णतया त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता हैं।

पत्रावली परीक्षण से जाहिर होता हैं कि तत्कालिन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत परासोली श्री किषनलाल नायक ने दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में दिनांक 22.11.2020 को आम सूचना प्रकाशित करवायी गयी जिसमे सर्वसाधारण को सूचित करते हुए यह अंकन किया कि ग्राम पंचायत के डुब क्षेत्र व अन्य आबादी भूमि के खसरा नम्बर/ आराजी नम्बर 13 तैरह, 8 आठ, 1502 पन्द्रह सो दो, 1503 पन्द्रह सो तीन की भूमि में पटटे् ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं किये गये, ग्राम पंचायत के स्वामित्व में खाली भूखण्ड है। यदि कोई व्यक्ति पुरानी तारीख के फर्जी पटटे प्राप्त करता है, तो

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

उसकी स्वयं की जिम्मेदारी है। यह पट्टे खारीज योग्य होकर उक्त भूमि के पटटे प्रक्रियात्मक नही है। पंचायत समिति मे जमा रिकॉर्ड अनुसार गायब पटटों की प्रतियों पर प्राप्तकर्ता व सचिव के हस्ताक्षर नही है। जिनकी निगरानिया दर्ज है।

उक्त आम सूचना प्रकाशन के उपरांत एवं इस न्यायालय द्वारा सम्मन नोटिस तामील होने के पश्चात् भी गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से निगरानी एवं आम सूचना के खण्डन में कोई प्रत्युत्तर एवं साक्ष्य दस्तावेज पेश नही हुये। जिससे न्याय के प्रतिपादित सिद्धान्तों के मध्येनजर यह सिद्ध होता है कि उक्त प्रश्नगत पटटा पूर्णतया विधि विरूद्ध है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियमों की उल्लघंना कर गैर निगराकार संख्या 01 को विधि विरूद्व तरीके से जो पट्टा संख्या 52 दिनांक 05.09.20219 को जारी किया गया, वह प्रारब्ध से ही शून्य होने से खारिज होने योग्य ठहरता हैं एवं विधि विपरीत पट्टे को खारिज किया जाना न्यायहित व राज्य हित में है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

## आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत परासोली द्वारा जारी पट्टा संख्या 52 दिनांक 05.09.2019 को निरस्त किया जाता हैं। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति आसीन्द एवं ग्राम पंचायत परासोली पंचायत समिति आसीन्द को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 01.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतन कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा